पुलिस आयुक्त का कार्यालय: दिल्ली.

सं. 424 /पीआरओ /पीएचक्यू दिनांक दिल्ली, 26.06.2020 .

सेवा में
संपादक,
द कारवां पत्रिका,
ईमेल: editor.thecaravan@delhipress.in

विषय:- श्री प्रभजीत सिंह (स्वतंत्र पत्रकार) द्वारा कारवां मैगज़ीन पर समाचार आइटम को प्रत्याख्यान 24 जून 2020 को शीर्षक के साथ "डेड एंड बेरिड: दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा, दिल्ली हिंसा में अग्रणी भीड़ के लिए भाजपा नेताओं के खिलाफ अन्य शिकायतों की अनदेखी की।"

वेब-लिंक पर https://caravanmagazine.in/politics/senior-police-officers-accused-in-delhi-violence-complainants-face-intimidation

महोदय,

यह 24.06.2020 को वेबलिंक के माध्यम से आपकी सम्मानित पत्रिका में प्रकाशित उपर्युक्त बाईलाइन लेख को संदर्भित करता है। श्री प्रभजीत सिंह, एक स्वतंत्र पत्रकार, ने फरवरी 2020 के आखिरी सप्ताह में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में हुए दंगों के बारे में दुर्भावनापूर्ण, गैर-सूचित और असत्यापित तथ्यों पर आधारित कल्पना और मनगढ़ंत कहानी से भरी स्क्रिप्ट का प्रयास किया है। "लिखने-पढ़ने" का मात्र पढ़ने से एक निष्कर्ष निकलता है कि इसमें दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं। इसमें विवरणों की कमी, कथित शिकायतकर्ताओं की स्पष्ट पहचान, घटना का विशिष्ट समय और तारीख आदि शामिल हैं। इस तरह की स्पष्टता के अभाव में कोई भी पत्रकार पाठकों को प्रभावित करने की अपेक्षा मनगढ़ंत कोशिश कर सकता है। उन्होंने नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के ज्ञान और समझ की पूरी कमी दिखाई है, जिसमें 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 2 बहादुर पुलिसकर्मी और 100 पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आईं।

उन्होंने दिल्ली के चांद बाग की निवासी सुश्री रुबिना बानो का वीडियो फुटेज बनाया है। संयोग से श्रीमती रुबिना बानो ने दंगों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लगभग 22 दिनों बाद 18 मार्च, 2020 को एक शिकायत की थी। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि 750 से अधिक एफआईआर दंगों के सिलसिले में पूर्वोत्तर जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज किए गए थे और उनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की शिकायतों पर दर्ज किए गए थे। पूर्वोत्तर जिले में दंगों के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर की संख्या

1984 और 1992 के दंगों के दौरान दर्ज की गई एफआईआर की संख्या से अधिक है। इसलिए, पुलिस स्टेशनों में किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री सिंह इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं कि श्रीमती के विषय में वह जिस शिकायत का उल्लेख कर रहे हैं। रुबीना बानो ने कई बार अपने बयान को सुसंगत और 'बेहतर' नहीं किया है। यह आरोप कि श्री कपिल मिश्रा को 23 फरवरी 2020 की रात में पत्थर फेंकते और करावल नगर में दंगों का आयोजन करते हुए देखा गया था, 18 मार्च 2020 को लिखित शिकायत में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें "जय श्री राम" का जाप किया और कहा कि वे कोई मदद नहीं करेंगे, फिर से लिखित शिकायत में उल्लेख नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि "सुधार" हर अवसर पर किए गए थे, और इस प्रकार, बयान हमेशा संदिग्ध होंगे। ये आरोप सीसीटीवी फुटेज द्वारा प्रमाणित नहीं किए गए हैं। इसके विपरीत, चांद बाग में होने वाली घटनाओं में से एक में, श्री अनुज कुमार, एसीपी / गोकुलपुरी और उनके पुलिस सहयोगियों को सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं की भीड़ ने फँसा लिया था, और उनमें से कई मृत हथियार छिपा रहे थे उनके कपड़ों में। यह याद किया जा सकता है कि यह वही घटना है जिसमें डीसीपी / शाहदरा, श्री अमित शर्मा पर घातक हथियारों का उपयोग करके क्रूरता से हमला किया गया था और वह लंबे समय तक आईसीयू में रहे, अपने जीवन के लिए जूझ रहे थे। हेड कांस्टेबलों में से एक रतन लाल, जिन्होंने इन अधिकारियों के साथ मिलकर गोली चलाई, जिन्हें भीड़ द्वारा निकाल दिया गया और उन्होंने बाद में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इन घटनाओं को मामले में दायर आरोपपत्रों में स्पष्ट रूप से विस्तृत किया गया है, जिसमें तकनीकी और मौखिक साक्ष्य के माध्यम से कई दंगाइयों की पहचान की गई थी। कई सीसीटीवी फुटेजों में, यह देखा जा सकता है कि सैकड़ों महिलाओं, बुर्का पहनकर और घातक हथियार लेकर, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की, एक घटना जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर की गई थी। यहां तक कि रुबीना बानो की भूमिका जिसने दंगों के समय अपनी उपस्थिति के बारे में अपनी शिकायत में स्वीकार किया है कि वह चांद बाग क्षेत्र में दंगों के लिए जिम्मेदार गैरकानूनी विधानसभा का हिस्सा होने के लिए संदेह के घेरे में है।

श्री सिंह के लेख में 17 मार्च, 2020 की एक शिकायत का संदर्भ भी है, जो एक मोहम्मद इलियास द्वारा दायर की गई थी। यमुना विहार निवासी इलियास। फारूकिया मस्जिद में और विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के सामने होने वाली घटनाओं के संबंध में 26 और 28 फरवरी को पहले ही 02 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। क्षेत्र में कई अन्य जुड़े हुए घटनाएँ थीं, जिन पर पुलिस की नज़र है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप सत्य के किसी भी प्रकार के कोटे के बजाय उनकी कल्पना की मनगढ़ंत प्रतीत होते हैं। यह शिकायत तब दिखाई देती है जब इसे 16/03/2020 को पीड़ितों के लिए आयोजित राहत शिविर में प्रस्तुत किया गया था।

लेख में एक और शिकायत एक जमील रिजवी की थी, जिसने यमुना विहार का निवासी होने का दावा किया है। जब पुलिस उसका बयान दर्ज करने गई, तो पता चला कि उसने शिकायत में एक गलत पता दिया था और एक श्री अशोक गुप्ता ने घर पर कब्जा कर लिया था। वह अपने फोन पर ट्रेस करने योग्य भी नहीं थे। उनकी शिकायत की सामग्री मोहम्मद इलियास की तरह ही है और जांच में इसमें सच्चाई का कोई सबूत नहीं है।

यह इस स्तर पर बताया जाना चाहिए कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों के संबंध में जो भी शिकायतें प्राप्त हुईं, उन्हें जिले द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया और योग्यता के आधार पर निपटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने सावधानीपूर्वक इन शिकायतों का पालन किया है, संज्ञेय अपराधों पर पंजीकृत एफआईआर दर्ज की है और उन्हें अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। समुदाय, जाति या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। चीजों को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतों पर 400 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और यहां तक कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर भी उनकी शिकायतों को ध्यान में रखती हैं।

इस तरह की सभी शिकायतों की विश्वसनीयता जिस पर लेखक ने अपनी कहानी लिखी है, वे बहुत ही संदिग्ध हैं क्योंकि वे काफी समय बीतने के बाद भी प्रस्तुत और प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह की कई शिकायतकर्ता या उनके परिवार के सदस्य दंगों में उनकी दोषसिद्धि के लिए संदेह के घेरे में हैं, और ऐसी शिकायतें देकर वे पुलिस पर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। ऐसी शिकायतों की सामग्री, टोन और टेनर समान हैं, मुख्य रूप से व्यक्तियों और पुलिस अधिकारियों के एक विशेष समूह को लक्षित करते हैं। अधिकांश शिकायतें इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अवगत है कि निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा जांच का पीछा करने से इसे हटाने का लक्ष्य रखा जाएगा। लोगों का समूह गलती की रेखाओं के साथ खेलकर अविश्वास, एक सांप्रदायिक और सामाजिक कलह का वातावरण बनाता है।

श्री प्रभजीत सिंह ने घटनाओं को सनसनीखेज बनाने की कोशिश में पत्रकारिता के कुछ बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना भूल गए। उन्होंने आसानी से एक विशेष पंक्ति में प्रवेश किया, इस तरह के लेखों के प्रकाशन से थोड़ा सा एहसास हुआ कि वे सामाजिक ताने-बाने को भी खतरे में डालते हैं, दुश्मनी और सांप्रदायिक कलह और ईंधन की अवांछनीय भावनाओं को पैदा करते हैं। सभी शिकायतें जो काफी विलंब के बाद प्रस्तुत की गई थीं और निहित स्वार्थों के कारण उनकी स्क्रिप्ट का आधार बन गईं।

इस तरह के खतरनाक क्षेत्रों में फैलने से अतिरिक्त सावधानी और जबरदस्त सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन होता है। श्री सिंह ने आसानी से दोनों को नजरअंदाज करना चुना। वह दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच से यह अनुमान नहीं लगाता था कि यह पक्षपातपूर्ण है। उसे महसूस करना चाहिए कि पुलिस न्यायिक जांच के अधीन है, जबकि वह स्थापित न्यायिक प्रक्रिया के लिए कोई जवाबदेही नहीं रखती है। इसने अपने लेख में प्रदर्शित की गई तुलना में अधिक गहन खोजी पत्रकारिता का परिचय दिया।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि इस पत्युत्तर को ध्यान में रखा जाए और प्रकाशित किया जाए और इसे समान रूप से प्रमुखता के साथ ट्वीट किया जाए, जो कि उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता के सर्वश्रेष्ठ पेशेवर नैतिकता के अनुरूप है।

आपका आभारी,

(मंदीप एस. रंधावा) आईपीएस

जनसंपर्क अधिकारी,

दिल्ली पुलिस, दिल्ली